उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

लखनऊ

संख्या यू०पी०ई०आर०सी० / सचिव / विनियमावली / 04–4364

लखनऊ, दिनांक 04 जनवरी, 2005

लाइसेन्सधारियों के अन्य कार्य के निर्वाह के लिये विनियमावली–2004

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 181 के साथ पठित धारा 41 और 51 के अधीन और इस निमित्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है जिसमें पारेषण और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य कार्य के निर्वाह और लाइसेन्सधारी कार्य के लिये प्रयोग किये जाने वाले अन्य कार्य के लिये राजस्व के समानुपात और उनके आनुषंगी और सहायक मामलों के लिये व्यवस्था होगी :–

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–

I– यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य कार्य से आय का निर्वाह) विनियमावली, 2004

II– यह विनियमावली राज्य में सभी अन्तः राज्य पारेषण लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों पर लागू होगी।

III– इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा।

IV– उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) इस विनियमावली के निर्वचन पर प्रवृत्त होगा।

V– यह विनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाएं और निर्वचन :–

1–इस विनियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 से है;

(ख) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;

(ग) ''लाइसेंसधारी'' का तात्पर्य विद्युत के अंतः–राज्य पारेषण या वितरण करने के लिये अधिनियम की धारा 14 के अधीन स्वीकृत लाइसेंस से है।

(घ) ''लाइसेंसकृत कार्य'' का तात्पर्य उन कार्य और क्रियाकलापों से होगा जिनकी लाइसेंसधारी से स्वीकृत लाइसेन्स के अनुसार या अधिनियम के अधीन समझे गये लाइसेंसधारी होने पर करने की अपेक्षा की जाय।

(ङ) ''लाइसेंसधारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

(च) ''अन्य कार्य'' का तात्पर्य लाइसेंसकृत कार्य से भिन्न लाइसेंसधारी के किसी कार्य से है।

3–अन्य कार्य की सूचना :–

1–यदि कोई लाइसेंसधारी परिसम्पत्तियों के अधिकतम उपयोग के लिये किसी अन्य कार्य में प्रवृत्त होगा तो वह निम्नलिखित विवरणों को सम्मिलित करते हुए ऐसे अन्य कार्य को पूर्व सूचना लिखित में आयोग को देगा :

(क) अन्य कार्य की प्रकृति;

(ख) अन्य कार्य में प्रस्तावित मूल विनिधान;

(ग) अन्य कार्य के लिये लाइसेंसकृत कार्य की परिसम्पत्तियों और सुविधाओं के प्रयोग की प्रकृति और सीमा;

(घ) परिसम्पत्तियों के प्रयोग और लाइसेंसकृत कार्य पर अन्य कार्य की सुविधाओं और लाइसेंसकृत कार्य के संबंध में कर्तव्यों और दायित्वों का अनुपालन करने के लिये लाइसेंसधारी की योग्यता पर प्रभाव ; और

(ङ) वह रीति जिसमें लाइसेंसकृत परिसम्पत्तियों और सुविधाओं का प्रयोग किया जायेगा और इसका औचित्य की लाइसेंसकृत कार्य के क्रियाकलापों के अनुरक्षण पर प्रभाव डाले बिना उनका अधिकतम प्रयोग किया जायेगा।

2–यह सुनिश्चित करने का लाइसेंसधारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि अन्य कार्य के लिये लाइसेंसकृत कार्य की परिसम्पत्तियों और सुविधाओं का प्रयोग किसी भी प्रकार से लाइसेंसकृत कार्य के अधीन लाइसेंसधारी से अपेक्षित सेवा के दायित्वों या गुणवत्ता के सम्पादन को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसा प्रयोग पूर्णतः लाइसेंसधारी की जिम्मेदारी और जोखिम पर किया जायेगा।

4–लेखा :–

1–लाइसेंसधारी :

(क) अन्य कार्य के क्रियाकलाप के लिये पृथक लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा उदाहरण के लिये किसी राजस्व, मूल, परिसम्पत्ति, दायित्व, आरक्षित या अनुबन्ध की धनराशि जो किसी अन्य कार्य से या उसके संबंध में प्रभारित की गयी है, जिसमें उस प्रभार के आधार का विवरण हो या किसी विवरण के साथ विभिन्न कार्य के क्रियाकलापों के मध्य निर्धारण या आवंटन द्वारा अवधारित की गयी हो;

(ख) ऐसे अभिलेखों से दृढ़ आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये लेखा विवरणी तैयार करेगा जिसमें लाभ और हानि का लेखा, तुलनपत्र और निधि के स्रोत और प्रयोग का विवरण हो;

(ग) तैयार की गयी लेखा विवरणी के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा परीक्षक द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें इस तथ्य का उल्लेख होगा कि क्या उनके विचार में विवरणी समुचित रूप से तैयार की गयी है और राजस्व, मूल्य, परिसम्पत्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों जो तर्कपूर्ण रूप से उस कार्य से संबंधित हों, जिससे विवरणी संबंधित है, का ठीक और उचित प्रयोजन देगा;

(घ) आयोग को ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जो अन्य कार्य के लिये लाइसेंसधारी द्वारा उपगत अतिरिक्त मूल्य के पुनर्विलोकन के लिये अपेक्षित हो; और

(ङ) लेखा विवरणी और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियां उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जिससे वे संबंधित है, छः मास के भीतर प्रस्तुत करेगा।

2–लाइसेंसधारी आयोग की संतुष्टि के लिये यह स्पष्ट करेगा कि ऊपरी खर्चों के समुचित अंश का वहन अन्य कार्य सम्यक् रूप से कर रहा है।

5–वित्तीय विवक्षाएं :–

1–लाइसेंसधारी किसी भी रीति से लाइसेंसकृत कार्य की परिसम्पत्तियों और सुविधाओं का उपयोग नहीं करेगा या अन्यथा किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे क्रियाकलापों को किये जाने की अनुमति नहीं देगा जिनके परिणाम स्वरूप लाइसेंसकृत कार्य किसी प्रकार अन्य कार्य में सहायता दें।

2–लाइसेंसधारी किसी प्रकार से लाइसेंसकृत कार्य की परिसम्पत्तियों और सुविधाओं को अन्य कार्य के लिये या लाइसेंसकृत भिन्न किन्हीं क्रियाकलापों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से भाराक्रांत नहीं करेगा।

3–लाइसेंसधारी लाइसेंसकृत कार्य में गणना किये गये सभी मूल्यों का सम्यक् रूप से भुगतान करेगा जो अन्य कार्य के लिये उपगत किये गये हों और ऐसे मूल्यों को लाइसेंसकृत कार्य और अन्य कार्य दोनों के लिये समान रूप से उपगत किये जाने की स्थिति में ऐसे मूल्यों को विभाजित किया जायेगा और अन्य कार्य से लाइसेंसकृत कार्य के विभाजित मूल्यों का देय भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

4–ऊपर उपखण्ड–3 के अधीन मूल्यों के अंशों की भागीदारी के अतिरिक्त लाइसेंसधारी लाइसेंसकृत कार्य के लिये नीचे दिये गये सूत्र के अनुसार गणना करेगा और देय भुगतान सुनिश्चित करेगा –

लाइसेंसकृत कार्य के लिये देय भुगतान = X(R* A/C)

जबकि R = अन्य कार्य में प्रयुक्त राजस्व

A = अन्य कार्य में प्रयुक्त की गयी लाइसेंसकृत कार्य की परिसम्पत्तियाँ

C = अन्य कार्य की कुल सम्पत्तियां (लाइसेंस कृत कार्य की प्रयुक्त सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए)

X = वह घटक है जो आयोग द्वारा अन्य कार्य के लेखे प्राप्त हो जाने के पश्चात् निश्चित किया जाय।

5–लाइसेंसकृत कार्य में अन्य कार्य से प्राप्त 5(4) पर यथाविनिर्दिष्ट भुगतान का प्रयोग यथास्थिति कार्य के पारेषण और/या वितरण प्रभारों को व्यय करने के लिये किया जायेगा।

6–आयोग की शक्तियाँ –

1–आयोग किसी भी समय लाइसेंसधारी के अन्य कार्यों में लाइसेंसकृत कार्य की परिसम्पत्तियों और सुविधाओं को अवधारित करने के लिये जांच के आदेश दे सकता है।

(क) क्या ऊपर खण्ड 4 और 5 में यथाउल्लिखित मूल्यों और व्ययों का समुचित रूप से समायोजन और भुगतान किया जा रहा है?

(ख) क्या अन्य कार्य के राजस्वों की गणना सकल टर्नओवर और लाइसेंसकृत कार्य के लिये देय धनराशियां अवधारित करने के लिये समुचित प्रकार से की जा रही है?

2–आयोग, आयोग के किसी अधिकारी या किसी व्यवसायिक व्यक्ति या विशेषज्ञ या परामर्शदाता को ऊपर उपखण्ड (1) के अधीन जांच करने के लिये और आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

3–आयोग ऊपर उपखण्ड–(2) के अधीन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और लाइसेंसधारी को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिन्हें आयोग अन्य कार्य द्वारा अंशदान दिये जाने के लिये मूल्यों और व्ययों के संबंध में और लाइसेंसकृत कार्य की आय के रूप में गणना किये जाने के लिये अन्य कार्य की टर्नओवर के भाग को समुचित समझे।

7–आदेशों का निर्गमन और निदेशों को व्यवहार में लाना –

विद्युत अधिनियम–2003 और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आयोग समय–समय पर इस विनियमावली को कार्यान्वित करने और विभिन्न विषयों पर अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी कर सकता है और निदेशों को व्यवहार में ला सकता है, जिनके विषय में आयोग को इस विनियमावली द्वारा आनुषंगिक विषयों या उसके सहायक विषयों में निदेश देने के लिये सशक्त किया जाय।

8–कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति :–

यदि इस विनियमावली के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लाइसेंसधारी को ऐसे कार्यों को करने या कराने के लिये आदेश दे सकता है जो आयोग की राय में कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन हों।

9–संशोधन करने की शक्ति :–

आयोग किसी समय इस विनियमावली के किसी उपबन्ध में परिवर्धन, परिवर्तन, भिन्नता, उपान्तरण या संशोधन कर सकता है।

आज्ञा से,

संगीता वर्मा,

सचिव,

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।